अनुदान संख्या 84 – लघु उद्योग मंत्रालय
GRANT No. 84–MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	377,56,00	377,57,00	365,66,89	–11,90,11
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				6,96,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		20,00,00	20,00,00	. .
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:–

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	3300.00	31.95	. .	–31.95
पु.	R.	–3268.05			
मुख्य शीर्ष ''2851'' ग्रामीण और लघु उद्योग	Major Head "2851" Village and Small Industries				
मू.	O.	33538.00	36095.70	35681.91	–413.79
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	2556.70			

(I) 3350.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 3300.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2552'' - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए प्रावधान'' के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर व्यय को संबंधित कार्यात्मक शीर्षों से पूरा करने के लिए पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का उपयोग किए जाने और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यपगत न होने वाले पूल को अंतरित किए जाने के कारण भी थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2851' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "लघु उद्योग''-

(क) "प्रौद्योगिकी उन्नयन''- 1191.75 लाख रु. की बचत (2655.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लघु उद्योग के विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रमाणीकरण निकाय की जांच इस आशय से करने कि क्या वे प्रमाणीकरण निकाय के रूप में नियमों और विनियमों का पालन करने की योग्यता रखते हैं, के लिए उठाए गए कदमों के कारण हुई।

(ख) "परीक्षण केन्द्र''- 187.18 लाख रु. की बचत (455.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में परीक्षण मशीनों और उपस्करों के मूल्य में कमी आने की वजह से पूंजीगत उपस्कर के लिए निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई। कुछ मामलों में क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों/फील्ड परीक्षण स्टेशन द्वारा तकनीकी अपेक्षाएं पूरी करने वाली दर सूचियां अपेक्षित संख्या में प्राप्त नहीं हुई और इसलिए खरीद को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। जांच समिति द्वारा गुणवत्ता प्रबंध नियंत्रण के लिए 50.00 लाख रु. की मंजूरी के प्रस्ताव को सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित कर दिया गया था। तथापि, निधियां जारी नहीं की जा सकीं क्योंकि राज्य सरकारों ने अभी तक अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी नहीं की थी।

(खा) "अन्य व्यय - राष्ट्रीय उद्यमशीलता विकास बोर्ड''- 140.00 लाख रु. की बचत (210.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधीयन के लिए पर्याप्त और व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.3350.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.3300.00 lakhs alone was under Major Head "2552"–"Other Expenditure–Provision for North Eastern Region and Sikkim"–due to utilisation of funds by re–appropriation to meet the expenditure on Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region from the concerned functional heads and also tramsfer to non–lapsable pool for North Eastern Region including Sikkim.

(II) Under Major Head "2851"–savings occurred under the following heads:–

(A) "Small Scale Industries"–

(a) "Technology Upgradation"–saving of Rs.1191.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2655.00 lakhs) was due to the steps taken by the office of the Development Commissioner of Small Scale Industry to check the authenticity of the certification body as to whether they are abiding by the rules and regulations for qualifying as certification body.

(b) "Testing Centers"–saving of Rs.187.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.455.00 lakhs) was due to less requirement of funds for capital equipment owing to reduction in the prices of the testing machines and equipments in competitive markets. In some cases requisite number of quotations meeting the technical requirement of the items were not received by the Regional Testing Centers/Field Testing Stations and hence purchase could not be materialised. A proposal for sanction of Rs.50.00 lakhs for a Quality Management Control was approved in principle by the Screening Committee. However, funds could not be released as the State Governments were yet to complete the required formalities.

(B) "Other Expenditure–National Entrepreneurship Development Board"–saving of Rs.140.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.210.00 lakhs) was due to non–receipt of adequate and viable proposals for funding.

2.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2851'' - "अन्य व्यय - लघु उद्योग क्षेत्रके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम'' के अंतर्गत पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (3453.00 लाख रु) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि फरवरी, 2004 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2851'' के निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) "लघु उद्योग''-

(क) "ग्रामीण क्षेत्रें में लघु उद्योगों का अध:संरचनात्मक विकास'' - 293.00 लाख रु. का अधिक व्यय (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियाजनाओं/स्कीमों के लिए निधियों का उपयोग किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "औजार कक्ष''- 201.35 लाख रु. का अधिक व्यय (2268.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए निधियों का उपयोग किए जाने और लघु औजार कक्ष स्कीम के अंतर्गत लघु औजार कक्षों का उन्नयन किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

2.(I) The above savings were partly (Rs.3453.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re–appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in February, 2004 under Major Head "2851"–"Other Expenditure–Credit Guarantee Scheme for SSI Sector".

(II) The above savings were also offset by excess under Major Head "2851" under the following heads : –

(A) "Small Scale Industries"–

(a) "Infrastructural Development of SSI in Rural Areas"–excess of Rs.293.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to utilisation of funds for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(b) "Tool Rooms"–excess of Rs.201.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2268.00 lakhs) was due to utilisation of funds for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and upgradation of Mini Tool Rooms under the Mini Tool Room Scheme.

3. In the capital section of the grant, saving/ excess occurred under the following major heads:–

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4851'' ग्रामीण और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4851" Capital Outlay on Village and Small Industries				
मू.	O.	1800.00	2000.00	2000.00	. .
पु.	R.	200.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''4552'' पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	200.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–200.00			

(I) 200.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष '' 4552'' - ''अन्य व्यय -पूर्वोत्तर क्षेत्रऔर सिक्किम के लिए प्रावधान'' के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और यह मुख्य शीर्ष ''4851'' - ''लघु उद्योग - राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.'' के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर व्यय को पूरा करने के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का उपयोग किए जाने के कारण अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गया।

(I) Provision of Rs.200.00 lakhs remained wholly unutilised under the Major Head "4552" – "Other Expenditure–Provision for North Eastern Region and Sikkim" and was offset by excess under Major Head "4851"–"Small Scale Industries–National Small Industries Corporation Ltd."–due to utilisation of funds by re-appropriation for meeting expenditure on Projects/ Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.